

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.


Dated:

Certified that the Pragati Public Sr. Sec. School (name of the building or premises) at Ujjwal Vihar Baran Road KOTA (address) comprised of NO. basement(s) and G+2 (upper floors) owned/ occupied by Dr. Parvez Khan, Trustee-RM, Educational Trust (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 27/03/2024 (date of inspection) in the presence of Mrs. Sarika Sharma (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XI (X/ XII) With effect from 6/4/2024 for a period of One (01) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 6/4/24 (date of issue) at Nagark Nigam (place) by KOTA NORTH

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: 

Name

RAKESH VYAS
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा-उत्तर

Designation

Chief fire officer

Name & Address of Department/ Office:

Nagark Nigam KOTA
NORTH.

To

Principal
Pragati Public Sr. Sec. School
Ujjwal Vihar Baran Road/KOTA
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to NON-Operational of fire fighting system, empty condition of fire extinguisher (reasons to be recorded).

Mr. Rakesh Vyas, Chief fire officer NN(N) Kota (Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in Hindi, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

नगर निगम, कोटा उत्तर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA NORTH/FIRENOC/2023-24/27775
जारी दिनांक: 27-MAR-2024 वैधता दिनांक: 26-MAR-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PARVEZ KHAN
आवेदक का पता: H.NO. 29, BEHIND AKASHWANI COLONY, NAYAPURA, KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन PRAGATIPUBLICSENIORSECONDARYSCHOOLSAMAJKALYANANDAN, 30 38/1 39/1, UJJAWAL VIHAR, BARAN ROAD KOTA, KOTA-NORTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. भवन में समस्त स्टाफ व सिक््योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में तीन बार स्वयं के स्तर पर मॉकड्रील आयोजित की जानी होगी।
2. भवन के जिस भाग के लिए जिस कार्य के संचालन के लिए जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
3. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
4. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। पुनः नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगवाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिंशा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।
7. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगवाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
8. अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुंच सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
9. स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखने होंगे।
10. भवन का मौका निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना की जानी होगी।
11. भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिंशा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।
12. भूमि व भवन रहवासी संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशयः में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में रूफटॉफ रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है।
14. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।



Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA NORTH, Rajasthan
Date: 27/03/2024 13:51:17



अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर